रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246277
CG-DL-E-05062023-246277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2316] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945
No. 2316] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

का.आ. 2426(अ).—सेवा या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित रीति में सीधे ही उनकी हकदारियों को प्राप्त करवाने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता से निवारित करता है;

और जबकि, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन संघ राज्यक्षेत्रों के बाहर उच्चतर अध्ययन और बेहतर रोजगार अवसरों के लिए अपने कौशल सेट को बढ़ाने के लिए विशेष छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है, जो कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना का एक भाग है) प्रचालित कर रहा है; जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और जबकि, स्कीम के अधीन शैक्षणिक शुल्क और रखरखाव भत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) स्कीम और उसके अधीन जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पात्र छात्रों को मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों (जिसे इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) में यथा परिभाषित पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम अवधि के लिए, प्रदान किया जाता है;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतवर्लित है; और

अतः, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है , अर्थात्:--

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्याक रखने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन करवाना होगा;

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्याक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को नामांकन के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों (बाल फायदाग्रहियों के मामले में) की सहमति के अध्याधीन, आधार नामांकन के लिए आवेदन अपेक्षित होगा: परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बालक आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन प्रसुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं होने की दशा में, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा: परंतु जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा जाता है, तब तक स्कीम के अधीन उन व्यक्तियों को, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्याधीन, प्रसुविधा प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

I. अठारह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए --

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात (बायोमेट्रिक्स संग्रहण सहित) नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायो-मेट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना, अर्थात् -

(i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म का रिकॉर्ड;

(ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना, अर्थात्: -

i. समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र या जन्म का रिकॉर्ड; या

ii. राशन कार्ड; या

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड या

iv. पेंशन कार्ड; या

v. सेना कैंटीन कार्ड; या

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

vii. विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

II. अठारह वर्ष से अधिक आयु के फायदाग्राहियों के लिए --

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: -

(i) पासपोर्ट; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) मतदाता पहचान पत्र; या

(iv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(v) किसान फोटो पासबुक; या

(vi) मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(vii) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(viii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से उस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिसके द्वारा स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाई जाएगी और विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा ताकि फायदा निर्बाध रीति से प्रदायगी हो सके;

(ख) यदि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां भी संभव हो और यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड, यथास्थिति द्वारा स्वीकार्य अधिप्रमाणन का प्रस्ताव किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, स्कीम के अधीन भौतिक आधार पत्र के आधार पर फायदा प्रदान किया जा सकेगा, जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकेगी और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी पात्र बालक को स्कीम के अधीन फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह अधिप्रमाणन के माध्यम से या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है या ऐसे बालक के मामले में जिसे कोई आधार संख्याक नहीं दिया गया है, नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के उप-खंड (ख) और उपखंड (ग) में यथा उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे फायदा दिया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर फायदा दिया जाता है, इसका रिकार्ड रखने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक फायदाग्राही (बालकों के सिवाय) अपने देय फायदों से वंचित नहीं हो, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का अनुपालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 15-6/2022-एनएस.II]

पी. के. बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2023

S.O. 2426(E).—Whereas, the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Education, Department of Higher Education**(*hereinafter referred to as the Ministry*),** is administering the Special Scholarship Scheme for Jammu & Kashmir and Ladakh**(*hereinafter referred to as the Scheme, a component of Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan Yojana*)** with an objective of encouraging the youth of Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh to pursue higher studies outside these Union territories and to enhance their skill sets for better employment opportunities which is being implemented through the All India Council for Technical Education **(*hereinafter referred to as the implementing agency*)**;

And whereas, under the Scheme academic fee and maintenance allowance (***hereinafter referred to as the benefits***) are given for the duration of the course to the eligible students for pursuing course as defined in the extant scheme guidelines (***hereinafter referred to as the beneficiaries***), by the implementing agency as per the scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India; and

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment, subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries) before registering for the enrollment: provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrollment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries, who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves: provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:--

I For children below eighteen years of age--

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip or of bio-metric update identification slip or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; **and**

(b) Production of any one of the following identity documents of the beneficiary, namely --

(i) Birth Certificate or record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School Identity Card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; **and**

(c) Production of any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate or record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-servicemen Contributory Health Scheme Card or Employees' State Insurance Corporation Card or Central Government Health Scheme Card or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

II For beneficiaries above eighteen years of age—

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrollment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Passport; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Voter Identity Card; or

(iv) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Card; or

(v) Kisan Photo Passbook; or

(vi) Driving License issued by the licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(vii) any other documents as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its implementing agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Department through its implementing agency shall make provision for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case, the biometric authentication through finger prints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case maybe, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its implementing agency,

4. Notwithstanding anything contained herein, no eligible child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or furnishing proof of possession of Aadhaar number or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in sub-clause (b) and (c) of the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its implementing agency.

5. In order to ensure that no *bona fide* beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its implementing agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum, issued by the Direct Benefits Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India number. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/)

6. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 15-6/2022-NS.II]

P. K. BANERJEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.05 22:02:12 +05'30'